

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

प्रथम तल, ब्लॉक-6, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर

Ph-2701596

rajssaquality@gmail.com

क्रमांक : रास्कूलशिप/जय/क्वालिटी/2018-19/

५७५७

दिनांक : ३०/४/१८

जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि/प्रा.शि) एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
रमसा/एसएसए, समस्त ज़िले।

विषय :- आनन्ददायी शनिवार (Joyful Saturday) गतिविधि के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पीएची 2018-19 में क्वालिटी कार्यक्रम के अन्तर्गत आनन्ददायी शनिवार (Joyful Saturday) गतिविधि अनुमोदित की गई है। इस गतिविधि के अन्तर्गत समस्त राजकीय विद्यालयों में प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को माध्यान्तर पश्चात आनन्ददायी शनिवार के रूप में मनाया जायेगा। इस गतिविधि की अवधारणा, उद्देश्य, क्रियान्वयन एवं बजट प्रावधान के विस्तृत दिशा-निर्देश संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि समस्त राजकीय विद्यालयों में गतिविधि का आयोजन सुनिश्चित करावें।

संलग्न-: आनन्ददायी शनिवार गतिविधि दिशा-निर्देश।

(शिवांगी स्वर्णकार)

राज्य परियोजना निदेशक, समसा

क्रमांक:-राप्राशिप/जय/क्वालिटी/आनन्ददायी शनिवार/2018-19/ ५७५८

दिनांक ३०/४/१८

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही:

1. निजी सहायक, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
2. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान, बीकानेर।
4. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान जयपुर।
5. निदेशक, एसआईआरटी, उदयपुर।
6. अतिरिक्त ज़िला परियोजना समन्वयक, रमसा, समस्त ज़िले।
7. अतिरिक्त ज़िला परियोजना समन्वयक, एसएसए, समस्त ज़िले।
8. रक्षित पत्रावली।

(सुरेश चन्द्र)

अति. राज्य परियोजना निदेशक

आनन्ददायी शनिवार (Joyful Saturday)

दिना-निर्देश : 2018-19

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास आवश्यक है। इनमें से किसी एक पक्ष की उपेक्षा करने पर अन्य दोनों पक्ष प्रभावित होते हैं जिससे संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है। परम्परागत शिक्षण में एक तरफा संवाद होने से विद्यार्थी को अपनी प्रतिभा प्रकट करने का अवसर ही नहीं मिलता है। इससे वे आधे-अधूरे मन से सीखने का प्रयास करते हैं तथा कुछ तो पढ़ाई को बोझ मानकर विद्यालय छोड़ भी जाते हैं। अतः विद्यार्थी स्कूली शिक्षा आनन्ददायी तरीके से पूरी करे, इस हेतु आवश्यक है कि उनके अनुकूल सीखने के तरीकों को काम में लिये जावें।

बच्चे अपनी प्रकृति से ही रचनात्मक/सृजनात्मक होते हैं। प्रत्येक बच्चा रचना/सृजन की सामर्थ्य के साथ पैदा हुआ है। सीखने के विविध कौशल पहले से बच्चों में होते हैं, जैसे— प्रश्न करना, जांच करना, खोजना, प्रयोग करना एवं खेलना। बच्चे रचनात्मक/सृजनात्मक रूप से खोजबीन करते हुए सीखते हैं। कला के माध्यम से बच्चे बेहतर और तेजी से सीखते हैं। रचनात्मक/सृजनात्मकता समझ को विविध तरीकों से व्यक्त करने के लिए बच्चों को विस्तृत परिक्षेत्र उपलब्ध कराती है। अतः विद्यालय स्तर पर बच्चों को रचनात्मक/सृजनात्मकता के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हों, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, 2005 के अनुसार कला संज्ञानात्मक, भावनात्मक और अभिव्यक्ति वाले क्षेत्रों के साथ अन्तःक्रिया करने वाली प्रक्रियाओं को अर्थ देती है। कला के उद्देश्य अवलोकन, खोजबीन करने और अभिव्यक्ति के माध्यम से बच्चों की सभी इन्द्रियों को /बोध को/ज्ञान को विकसित करना जीवन के भिन्न-भिन्न पहलुओं के प्रति बच्चों को अपने विचार, भावनाएं अभिव्यक्ति करने के अवसर देना है। परिवेश में जो कुछ भी सुन्दर और अच्छा है, उसके प्रति बच्चों को Integration पद्धति द्वारा जागरूक करना, उस सुन्दरता का लाभ/आनन्द उठाने के प्रति उत्सुकता पैदा करना है।

स्वामी विवेकानन्द के अनुसार अन्तर्निहित शक्तियों को उजागर करना ही शिक्षा है। रचनात्मक गतिविधियों के क्रियान्वयन से बच्चों में स्वस्थ मानसिक विकास, आनन्द की अनुभूति, मनोरंजन सम्प्रेषण क्षमता का विकास, सहयोग एवं सहभागिता का विकास, संस्कृति की समझ का विकास, पढाई में रोचकता, जिज्ञासा जगाना, चिंतन एवं मन्थन क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं नयापन का विकास, प्रयोग की क्षमता का विकास, एकाग्रता एवं ध्यान केन्द्रित कर निर्णय लेने की क्षमता का विकास, कल्पनाशीलता क्षमता का विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सौंदर्य बोध का विकास, अवलोकन क्षमता का विकास, आत्मविश्वास, विश्लेषण क्षमता का विकास, शारीरिक संतुलन एवं आपसी समन्वयन क्षमता का विकास, दृष्टिकोण का विकसित करना, व्यक्तित्व निर्माण, सामाजिक विकास हेतु पहल करना, स्मरण शक्ति का विकास होता है।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को आनन्ददायी शनिवार के रूप में मनाए जाने हेतु एक अभिनव पहल प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में माह के इन दो दिनों में मध्यान्तर पश्चात् सभी विद्यालयों में बस्ता मुक्त शनिवार मनाया जाएगा जिसमें बच्चों के स्तरानुसार आनन्ददायी गतिविधियों आयोजित की जायेगी। इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चे खेल-खेल में गणित, भाषा, पर्यावरण की जानकारी सीख सकेंगे।

उद्देश्य:-

- सृजनात्मक शक्ति का विकास
- संप्रेषण क्षमता एवं सहभागिता का विकास
- एकाग्रचित्तता, चिंतन एवं तार्किक क्षमता का विकास
- समूह में पारस्परिक सीखने का विकास
- शारीरिक विकास
- दबावमुक्त, आनन्ददायी सीखने का वातावरण
- मूल्यों का विकास

8
—

गतिविधियाँ:-

<p>अभिव्यक्ति कौशल :-</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ वाद-विवाद ■ संस्कृत श्लोक वाचन ■ बोलना: गीत, कविता, लोकगीत, कहानी आदि ■ नृत्य ■ लिखना: कहानी, घटना, कविता, श्रुतिलेख, सुलेख ■ अविस्मरणीय घटना सुनाना ■ नाटक, एकाभिनय, मूकाभिनय, ■ अन्त्याक्षरी ■ महापुरुषों, वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, गणितज्ञों, साहित्यकारों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों का वाचन 	<p>सृजनात्मक कौशल :-</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ कबाड से जुगाड, ■ चित्रण— धागों से, मोम, सब्जी-फलठप्पा, अंकों, ज्यामितीय आकृतियों से, थम्ब पेंटिंग, कोलाज आदि ■ रंगोली, चित्रों में रंग भरना आदि ■ मुखौटे निर्माण ■ खिलौने बनाना— मिट्टी, कपड़े, लकड़ी कागज आदि से। ■ मॉडल एवं चार्ट निर्माण ■ भित्ति पत्रिका निर्माण
<p>चिंतन, तार्किक कौशल :-</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ पहेलियाँ हल करना ■ विज्ञान एवं गणित के जादू प्रदर्शन ■ पुस्तकालय से पुस्तक का स्वाध्याय एवं विचार अभिव्यक्ति ■ किंवज एवं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी ■ सद् साहित्य, महाकाव्यों पर प्रश्नोत्तरी 	<p>सामुदायिक कौशल :-</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ पुलिस /डॉक्टर /नर्स /वकील /इंजीनियर /बैंक कर्मी आदि की बारी-बारी से वार्ता कराना। ■ दैनिक कामगार— बढ़ई / कुम्हार / कारीगर / किसान / सुनार / लुहार / पेंटर / दुकानदार आदि से उनके काम के बारे में जानना। ■ संस्कार सभा के अन्तर्गत दादी / नानी के द्वारा परम्परागत प्रेरक कहानियों का वाचन ■ राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक समाचारों एवं घटनाओं की समीक्षा तथा प्रबुद्धजनों का उद्धोधन
<p>सामाजिक, संवेदनशीलता कौशल :-</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ आईसीटी लैब/प्रोजेक्टर पर फिल्म प्रदर्शन ■ Motivational videos ■ Gender Based video (Good touch, Bed touch) ■ बाल संरक्षण से संबंधित पीपीटी, वीडियो ■ चाइल्ड राइट क्लब गतिविधियाँ ■ वन एवं पर्यावरण क्लब ■ रोड़ सेफटी क्लब ■ मीना राजू मंच की गतिविधियाँ ■ पेड़-पौधे लगाना एवं सुरक्षा 	<p>शारीरिक कौशल :-</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ लम्बीकूद, ऊँची कूद ■ विभिन्न प्रकार की दौड़ यथा—कुर्सी दौड़, चम्मच दौड़, तीन टांग दौड़, बोरी दौड़ इत्यादि ■ रुमाल झपट्टा, सतोलिया आदि ■ कबड्डी, खो-खो, बालीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, इत्यादि। ■ इन्डोर गेम।

क्रियाव्ययन:-

- विद्यालय में कक्षा 1 से 5, 6 से 8 तथा 9 से 12 के पृथक-पृथक समूह बनाये जावे।
- प्रत्येक समूह का एक प्रभारी तथा एक सहप्रभारी बनाया जावे। प्रभारी, सहप्रभारी में शिक्षकों की रुचि को प्राथमिकता देवें।
- प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को मध्यांतर पश्चात कराई जाने वाली गतिविधियों का समूह के स्तरानुसार चयन किया जावे।

- आनन्ददायी शनिवार को आयोजित कराने वाली गतिविधियों हेतु मध्यांतर पश्चात के समय को तीन भागों में बॉट लिया जावे। प्रथम भाग में अभिव्यक्ति, सृजनात्मक, चिन्तन, तार्किक गतिविधियों ली जा सकती है। द्वितीय भाग में आईसीटी लैब में कम्प्यूटर/प्रोजेक्टर के उपयोग से वीडियो/पीपीटी का प्रदर्शन, सामुदायिक, संवेदनशील कौशल की गतिविधियां तथा तृतीय भाग में खेल कराये जा सकते हैं। यह विभाजन सुझावात्मक है, विद्यालय अपनी आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार इनमें बदलाव कर सकता है।
- शिक्षक तथा विद्यालय उक्त कौशलों के विकास में बच्चों की ऊचि एवं स्तरानुसार अन्य गतिविधियों का समावेश कर सकते हैं।
- शिक्षा विभाग द्वारा जारी शिविरा कैलेण्डर में दी गई गतिविधियों का आयोजन समाहित किया गया है।
- प्रति शनिवार आयोजित गतिविधियों का रजिस्टर संधारित किया जावे जिसमें भाग लेने वाले बच्चों की संख्या, प्रभारी शिक्षक का नाम, आयोज्य गतिविधि प्रति द्वितीय/चतुर्थ शनिवार एवं गतिविधियों के फोटो रखे जावें।

बजट प्रावधान-:

प्रत्येक विद्यालय को गतिविधियों के आयोजन हेतु आवश्यकतानुसार सामग्री क्रय के लिए 1000/- रु. प्रति विद्यालय का प्रावधान किया गया है।

